कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक 90 /दो-11-02/2018 **कोरबा, दिनांक 02-07-2024**

इस जिला स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु गठित भर्ती समिति के अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को भृत्य, फर्राश एवं दफ्तरी कम फर्राश के पद पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल-1 (15600-49400) में अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नांकित निर्धारित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है:-

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rishikesh Yadu S/o Lalitkishore Yadu	रेवाराम यदु 45/419 सरस्वती चौक ठेठवार पैलेश पुरानी बस्ती रायपुर (छ.ग.)	GEN
2	Gauri Shankar Sahu S/o Bahorik	ग्राम व पोस्ट लमेर जिला बिलासपुर (छ.ग.)	OBC
3	Surendra Kumar Jaiswal S/o Rampayare Jaiswal	बी–46 जस्टिस बंगला, शीतला मंदिर तिराहा के पास सिविल लाईन बिलासपुर (छ.ग.)	OBC
4	Sunil Nirmalkar S/o Ganesh Ram	वार्ड नं 64 माहामाया नगर बिरकोना थाना कोनी जिला बिलासपुर (छ.ग.)	GEN (P.H.)
5	Basant Kumar Basor S/o Mukhi Ram Basor	चाम्पा रोड विकास नगर वार्ड नंबर 5 कोरबा टाउन कोरबा (छ.ग.)	SC
6	Nand Kumar S/o Ganga Singh	ग्राम भटगांव पो0 सेवार तह0 बोदरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)	ST
7	Samant Kumar S/o Shri Ram Singh	ग्राम व पोस्ट कोथारी तह0 करतला थाना उरगा जिला कोरबा (छ.ग.)	ST
8	Jamuna Manjhi D/o Nilamber Manjhi	नगर पंचायत लैलूंगा पो0 व तह0 लैलूंगा जिला रायगढ़ (छ.ग.)	ST (P.H.)

नियुक्ति की शर्तें:-

1. यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा ।
2. कार्यभार ग्रहण करने के समय नियुक्ति के पद हेतु आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताओं से संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसे अवलोकन के बाद लौटाया जावेगा तथा इन दस्तावेजों की दो-दो स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत करना होगा।
3. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह शासकीय सेवा हेतु फीट (योग्य) है । यदि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा ।
4. चयनित अभ्यर्थी को अनुप्रमाणन फार्म पूर्तिकर तीन प्रतियों में शपथपत्र सहित प्रस्तुत करना होगा । यदि चरित्र सत्यापन में सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी ।
5. किसी भी पक्ष के द्वारा एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है ।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे 01 वर्ष तक और बढ़ायी जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परिवीक्षा पर माना जावेगा ।
7. नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं की जावेगी ।
8. शैक्षणिक तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा नियुक्ति हेतु कोई तथ्य छुपाया जाना, पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के निरस्त कर दी जावेगी ।
9. सेवा में प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिए अनुमति नहीं दी जावेगी, तथा कार्यालय प्रमुख की अनुमति उपरांत ही उच्च शिक्षा हेतु आवेदन अथवा अध्ययन प्रारंभ की जा सकेगी ।
10. चयनित अभ्यर्थी की पदस्थापना जिला स्थापना कोरबा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किसी भी न्यायालय या अनुभाग में की जा सकती है ।

11. आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.06.2013 में संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा । (प्रारूप संलग्न)

12. **चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 12-07-2024 तक अनिवार्य रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा । यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा तथा चयनित सूची से उनका नाम पृथक कर दिया जावेगा ।**

13. **यह नियुक्ति आदेश चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित की जा रही है, साथ ही जिला न्यायालय कोरबा के वेबसाईट पर भी उपलब्ध की जा रही है । चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाईट से डाउनलोड करके भी अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते है ।**

जिला न्यायालय कोरबा के वेबसाईट में सुधार कार्य होने के कारण यदि नियुक्ति आदेश डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो चयनित अभ्यर्थी कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पित नियुक्त आदेश की छायाप्रति कराकर भी कार्यभार ग्रहण कर सकते है ।

14. कार्यभार ग्रहण करते समय 02 नग सेवा-पुस्तिका प्रस्तुत करना होगा ।

15. चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का क्रम वही होगा, जो इस आदेश में अंकित है ।

16. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है, अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होंगी ।

(सत्येन्द्र कुमार साहू)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरबा (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक /दो-11-2/2018 कोरबा, दिनांक 02-07-2024

प्रतिलिपिः-

1. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा ।
2. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय कोरबा की ओर सूचनार्थ ।
3. प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा की ओर सूचनार्थ ।
4. लेखापाल / देयक लिपिक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
5. अग्रलिखित चयनित अभ्यर्थियों की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1	Rishikesh Yadu S/o Lalitkishore Yadu पता– रेवाराम यदु 45/419 सरस्वती चौक ठेठवार पैलेश पुरानी बस्ती रायपुर (छ.ग.)
2	Gauri Shankar Sahu S/o Bahorik पता– ग्राम व पोस्ट लमेर जिला बिलासपुर (छ.ग.)
3	Surendra Kumar Jaiswal S/o Rampayare Jaiswal पता– बी/46 जस्टिस बंगला, शीतला मंदिर तिराहा के पास सिविल लाईन बिलासपुर (छ.ग.)
4	Sunil Nirmalkar S/o Ganesh Ram पता– वार्ड नं 64 माहामाया नगर बिरकोना थाना कोनी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
5	Basant Kumar Basor S/o Mukhi Ram Basor पता– चाम्पा रोड विकास नगर वार्ड नंबर 5 कोरबा टाउन कोरबा (छ.ग.)
6	Nand Kumar S/o Ganga Singh पता– ग्राम भटगांव पो0 सेवार तह0 बोदरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
7	Samant Kumar S/o Shri Ram Singh पता– ग्राम पो0 कोथारी तह0 करतला थाना उरगा जिला कोरबा (छ.ग.)
8	Jamuna Manjhi D/o Nilamber Manjhi पता– नगर पंचायत लैलूंगा पो0 व तह0 लैलूंगा जिला रायगढ़ (छ.ग.)

(सत्येन्द्र कुमार साहू)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरबा (छ.ग.)

प्रारूप (एक)

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त/प्रवेशित/निर्वाचित/नामांकित/मनोनित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शपथ–पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... आ0 .... उम्र वर्ष .... व्यवसाय .... निवासी .... तहसील .... जिला .... राज्य .... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :

(1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/ लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/था।

(2) मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/नामांकन/मनोनयन आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन प्रदान की गई है।

(3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को होने के संबंध में ....(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।

(5) कदाचित उपर्युक्त जाति प्रमाण पत्र/सत्यापन प्रमाण–पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रास्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जॉच करती है अथवा गहन जॉच हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में की गई जॉच एवं पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक/शैक्षणिक संस्था/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केन्द्र शासन का नाम) ....

.... द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त / समाप्त / अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति / प्रवेश / निर्वाचन / चयन / प्रदत्त लाभ / सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होऊँगा तथा उक्त राशि मुझसे भू राजस्व के बकाया की भाँति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरूद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी

हस्ताक्षर ....

सत्यापन

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी ....
आत्मज / आत्मजा .... सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ

हस्ताक्षर ....